



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701(7)परावि / प्रशा.1 / स.अ. / क.अ. / रथ.पद. / 19-20 / ३१७९ जयपुर दिनांक - ०२/०८/२०२२

—: आदेश :—

निम्नलिखित अभियन्ताओं के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं—

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती)	पद	कहां से	कहां को
1.	राजेन्द्र निमेश	सहायक अभियन्ता (अभि.)	जिला परिषद झालावाड	आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय पंचायती राज विभाग, जयपुर
2.	केशव वर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता	पं.स. डीग जिला भरतपुर	पं.स. करेडा जिला भीलवाडा
3.	मुकेश कुमावत	कनिष्ठ अभियन्ता	पं.स. मसूदा जिला अजमेर	आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय पंचायती राज विभाग, जयपुर
4.	मनीषा मीणा	कनिष्ठ अभियन्ता	पं.स. चाकसू जिला जयपुर	पं.स. सांगानेर जिला जयपुर
5.	मन्दराज नागर	कनिष्ठ अभियन्ता	पं.स. नैनवा जिला बून्दी	पं.स. के.पाटन जिला बून्दी
6.	शिप्रा शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता	पं.स. झोटपाडा जिला जयपुर	आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय पंचायती राज विभाग, जयपुर
7.	शिवदयाल मीना	कनिष्ठ अभियन्ता	पं.स. लवाण जिला दौसा	पं.स. बसवा जिला दौसा
8.	जितेन्द्र अग्रवाल	कनिष्ठ अभियन्ता	पं.स. गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर	पं.स. मलारनाडूंगर जिला सवाईमाधोपुर
9.	प्रकाश सैन	कनिष्ठ अभियन्ता	पं.स. सराडा जिला उदयपुर	पं.स. दांतारामगढ़ जिला सीकर
10.	रीता कुरड़िया	कनिष्ठ अभियन्ता	पं.स. नोखा जिला बीकानेर	आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय पंचायती राज विभाग, जयपुर
11.	संजय जाखड़	कनिष्ठ अभियन्ता	पं.स. श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर	आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय पंचायती राज विभाग, जयपुर
12.	अशोक कुमार मीना	कनिष्ठ अभियन्ता	पं.स. बयाना जिला भरतपुर	पं.स. धौलपुर जिला धौलपुर

उपरोक्त आदेशों की पालना में यदि किसी स्थान पर स्वीकृत पदों से अधिक अभियन्ता कार्यरत हो गये हो, तो नवपदस्थापित अभियन्ता को कार्यग्रहण करवाकर 3 दिवस में विभाग को पूर्ण प्रस्ताव प्रेषित करावें। यदि किसी अभियन्ता द्वारा कार्यग्रहण करने में विलम्ब किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध विभागीय परिपत्र क्रमांक 1346 दिनांक 14.9.2020 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे।

उपरोक्त समस्त अभियन्तागण बिना किसी पत्र व्यवहार के इनके नाम के सम्मुख अंकित पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करें तथा कार्यग्रहण रिपोर्ट उचित माध्यम से विभाग को अविलम्ब प्रेषित करावें। उक्त आदेशों की पालना तत्काल सुनिश्चित की जावे। उपरोक्त अभियन्ताओं को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

५-

(घनश्याम शर्मा)
उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग।
8. जिला कलक्टर, सम्बधित।
9. मुख्य / अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सम्बधित।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सम्बधित।
11. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. सम्बधित अभियन्ता को पालनार्थ।
13. निजी / आरक्षित पत्रायिती।

५१

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)